न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–10/2021

कुलदीपराज पुत्र श्रीरामचन्द व विजय कुमार, सरवण कुमार, हीरा लाल पुत्र मदन मोहन पुत्र श्री राम चन्द जाति ब्राह्मण साकिन 155 आर.डी.ए.एस. तहसील अनूपगढ़

—— **प्रार्थीगण**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

::संशोधित निर्णय:: **दिनांक–10.08.2020**

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व प्रार्थी के भतीजों विजयकुमार, सरवण कुमार, हीरालाल पौत्र रामचन्द के नाम से संयुक्त रूप से वाके चक 155 आर.डी.ए.एस तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–02 पत्थर सं.–280/469 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तत्पश्चात खातेदारी सनद जारी करते हुए खातेदारी सनद में विजयकुमार, सरवण कुमार व हीरालाल के नाम के आगे दोहित्रा रामचन्द सहबन से गलत दर्ज हो गया जबकि विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल पुत्र मदन मोहन पुत्र रामचन्द है जिसे दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर श्रीमान्जी द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय दिनांक–03.08.2021 को पारित करते हुये उक्त गलती को दुरूस्त करते हुए आदेश दिया गया कि जमाबंदी में विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल दोहिता रामचन्द के स्थान पर विजय कुमार, सरवण कुमार, हीरालाल पौत्र रामचन्द रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। प्रार्थी के द्वारा फैसला दिनांक 03.08.2021 के पश्चात प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराने हेतु उक्त निर्णय प्रस्तुत किया तो पटवारी हल्का द्वरा लिखित में तहसीलदार अनूपगढ़ को इस आशय की प्रस्तुत की ऑन लाईन नामान्तरण मे पौत्र शब्द को कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती का अमलदारमद होना संभव नही है। इसलिए निर्णय दिनांक 03–8–2021 में विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल पौत्र रामचन्द के स्थान पर विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल पुत्र मदनमोहन पुत्र रामचन्द दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट ऑनलाईन सेग्रीग्रेशन के दौरान सॉफ्टवेयर में पौत्र का विकल्प नही होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंत[illegible] 152 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार योग्य होने के कारण न्यायहित में स्वीकार किया [illegible]र निर्णय दिनांक 03.08.2021 में दर्ज विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल [illegible] के स्थान पर विजय कुमार, सरवण कुमार व हीरालाल पुत्र [illegible] एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है। संशोधित निर्णय मूल निर्णय दिनांक 03–8–2021 का [illegible]ग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.09.20 17:30:36 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़